

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक- 3367/मीरजापुर/15 दिनांक, मीरजापुर मार्च 36

2024

सेवा में,

- 1- उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर
- 2- उप प्रभागीय वनाधिकारी, घुनार
- ✓ 3- अधिकृत प्रतिनिधि वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0, मीरजापुर।

विषय- वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2*660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप, लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ-1- भारत सरकार का पत्रांक-8B/UP/08/38/2016/FC/329, दिनांक 04.11.2022 एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित विडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक दिनांक 28.03.2024।
- 3- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-3122/11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, लखनऊ दिनांक 28.03.2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2*660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में -भारत सरकार द्वारा आयोजित विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा दिनांक 28.03.2024 को आहुत बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.11.2022 के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण करते हुये उक्त वांछित सूचना एवं सम्बन्धित अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में मौके का संयुक्त निरीक्षण कर बिन्दुवार आख्या मय अपेक्षित अभिलेख सहित अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ



Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Allganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in, goimcoefrolko@gmail.com

File No.: 8B/UP/08/38/2016/FC/329

रजिस्टर क्रमांक 2899

Dated: 04.11.2022

To,

फाईल सं. 11-11-22

दिनांक 11-11-22

The Principal Secretary (Forest),
EFCC Department,
Govt. of Uttar Pradesh,
17, Rana Pratap Marg,
Lucknow - 226001.

Sub.: Diversion of 8.3581 ha. Reserve Forest land for Water Pipeline corridor & Approach road for Mirzapur 1320 MW Thermal Power Project (FP/UP/THE/14236/2015) - reg.

Ref.: 1. This office letter of even no. dated 20.01.2022.

2. Representation letter dated 24.08.2022 received to this office from User Agency.

Sir,

Please refer to the above mentioned subject and references. It is to inform that the project proponent vide letter under ref.2 to this office has sought clarification on the legal status of project land of Mirzapur Thermal Power Project & pending forest proposal for water pipeline & approach access road to the proposed thermal power project.

In connection to this, a letter of even no. dated 29.10.2021 was issued by this office through which some clarification was sought from the State Govt. on the following points-

1. Whether the two Gata Nos. 180 and 216 ja of Dadri Khurd village recorded as Jhari in revenue record has been included in the list of Deemed forest as Forest like area?
2. What is the criteria adopted by State of UP for declaring any area as Deemed Forest/Forest like area?
3. The Geo-referenced map of the said area may be provided for DSS-analysis of the same.

Since no reply was received from State Govt. on above points, so a meeting was convened on 17.01.2022 and it was decided in the meeting that since land is a State subject, opinion of Revenue Board is required.

Hence, State Govt. is requested to follow the procedure laid down by Hon'ble Supreme Court of India & MoEF&CC on the issue & issue a Certificate on legal status of the land as implementation of a public utility project is being delayed.

Yours Sincerely,

(Dr. Prachi Gangwar)

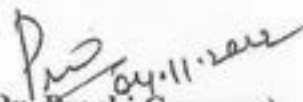
Deputy Inspector General of Forests (Central)

प्रमुख शायक
को राज्य सरकार कार्यवाही

25/11/22
1 प्रमुख शायक
11/11/22

Copy to: (through e-mail only)

1. The PCCF (& HoFF), Govt. of U. P., 17, Rana Pratap Marg, Lucknow.
- ✓ 2. The CCF/Nodal Officer, Govt. of U. P., 17, Rana Pratap Marg, Lucknow.
3. District Magistrate, Mirzapur or his/her representative.
4. Chief Conservator of Forests (Land Records & Settlement), U. P. Forest Department.
5. Chief Conservator of Forests, Mirzapur.
6. Divisional Forest Officer, Mirzapur.
7. User Agency/Welspun Energy Up Private Limited, Village-Dadri Khurd, Tehsil-Sadar, District-Mirzapur, Uttar Pradesh.
8. Guard File.


(Dr. Prachi Gangwar)

Deputy Inspector General of Forests (Central)

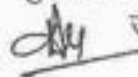
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-1635/11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 10, 2021

- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी, यू०पी० प्रा०लि०, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।



सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2*660) मेगावाट ताप विद्युतगृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाधक भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8B/UP/08/38/2016/FC/329, दिनांक 04.11.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं०-1635/11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, दिनांक 10.11.2022 एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 28.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध बनाने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको लिखा गया है, किन्तु अभी तक उक्त वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। इसी संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2024 को आहूत बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.11.2022 के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण करते हुये उक्त वांछित सूचना एवं संबंधित अभिलेख शीघ्र प्रेषित किये जायें।

अतः अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुये उक्त वांछित सूचना एवं संबंधित अभिलेख शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3122/11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
2. अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी, यू०पी० प्रा०लि०, मिर्जापुर।

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3122/11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

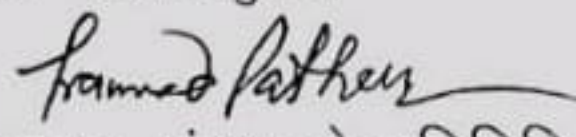
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू0पी0/08/38/2016/एफ0सी0/329 दिनांक 04.11.2022 एवं भारत सरकार द्वारा विडियो कान्फेसिंग बैठक दिनांक 28.03.2024 द्वारा भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.11.2022 के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुये वांछित सूचना एवं सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-3122/11-सी-(FP/UP/THARMAL/14236/2015) दिनांक 28.03.2024 द्वारा भी उपरोक्तानुसार निर्देश प्राप्त हुये जिसके क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक-3367/मी0/15 दिनांक 30.03.2024 द्वारा 1-उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर, 2-उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार एवं 3- अधिकृत प्रतिनिधि-वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0को (उक्त प्रकरण) में भारत सरकार द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के निवारण हेतु मौके का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर के पत्रांक- 1465/दिनांक 02.04.2024 द्वारा राजस्व कर्मियों की टीम का गठन कर दिनांक 03.04.2024 को मौके पर आराजी संख्या- 180 व 216ज का चिन्हांकन किया गया। रिपोर्ट संलग्न है (संलग्नक-1)।

तत्कम में दिनांक 03.04.2024 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं प्रस्तावक संस्था द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जो बिन्दुवार निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	आपत्ति	आख्या
1-	Whether the two Gata Nos. 180 and 216ja of Dadari khurd village recorded as jhari in revenue record has been included in the list of Deemed forest as Forest like area?	ग्राम-ददरीखुर्द, तहसील-सदर, मीरजापुर का गाटा संख्या-180 एवं 216ज राजस्व अभिलेखों में झाड़ी के नाम से दर्ज है। (खतौनी की प्रति संलग्नक-2) है। जनपद-मीरजापुर में वन स्वरूप क्षेत्रों की सूची में ग्राम-ददरी खुर्द तथा उक्त गाटा संख्या-180 एवं 216 ज सम्मिलित नहीं है। (जनपद मीरजापुर में चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों की सूची संलग्नक-3 है)।
2-	What is the criteria adopted by State of UP for declaring any area as Deemed Forest/ Forest like area?	कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-275/पी0ए0/आई0ए0(वनस्वरूप) लखनऊ दिनांक 20.12.2007 द्वारा वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हिकरण हेतु मानक निर्धारित करते हुये प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, अनुभाग-2, लखनऊ को प्रेषित पत्र में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की आयोजित बैठक दिनांक 19.12.2007 में समिति द्वारा वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हिकरण हेतु मानक निर्धारित करने की संस्तुति की गयी है। (प्रति संलग्नक-4)। निर्धारित मानक के अनुसार वन स्वरूप क्षेत्र हेतु विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 3 हे0, जिसमें प्रति हे0 बहुवर्षीय प्रजाति के 100 पेड़ होना चाहिये। जबकि - 1-ग्राम-ददरी खुर्द, विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पड़ता है खसरा न0-180 का क्षेत्रफल मात्र 1.010 हे0 तथा खसरा न0 216ज/0.490 हे0 है जो वन स्वरूप क्षेत्र के लिये न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल 3 हे0 के सापेक्ष बहुत कम है। 2-खसरा न0-180 तथा खसरा न0-216ज में प्राकृतिक रूप से उगे बहुवर्षीय प्रजाति के वृक्ष नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि खसरा न0-180 व 216ज वन स्वरूप क्षेत्र की सूची में नहीं है तथा वन स्वरूप क्षेत्र के लिये निर्धारित मानक के परिधि के अन्तर्गत भी नहीं है।
3-	The Geo-referenced map of the said area may be provided for DSS-Analysis of the same.	उक्त क्षेत्र का भू-सन्दर्भित मानचित्र पेन ड्राइव में संलग्नकर प्रेषित है (संलग्नक-5)।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


प्रस्तावक संस्था के प्रतिनिधि


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
चुनार


उप जिलाधिकारी, सदर,
मीरजापुर